Date - 16 March 2022

मातृ मृत्यु दर: भारत

- हाल ही में कार्यालय महापंजीयक नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) ने वर्ष 2017-19 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) पर एक विशेष बुलेटिन जारी किया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मातृ मृत्यु को गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर किसी महिला की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है।
- मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल:

- यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- यह देश में जनसंख्या की गणना और मृत्यु और जन्म के पंजीकरण को लागू करने के अलावा नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर का अनुमान भी प्रदान करता है।
- एसआरएस देश में सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है जिसमें अन्य संकेतक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं।
- देश में किसी विशिष्ट कारण से मृत्यु दर का पता लगाने के लिए, मौखिक ऑटोप्सी-वीए उपकरणों को नियमित आधार पर एसआरएस के तहत दर्ज मौतों के लिए प्रशासित किया जाता है।

एमएमआर के संबंध में भारत की स्थिति?

- भारत की मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की गिरावट आई है। यह 2016-18 में 113 से घटकर 2017-18 में 103 (8.8%) हो गया है।
- देश में एमएमआर में प्रगतिशील कमी वर्ष 2014-2016 में वर्ष 2015-17 में 130, वर्ष 2016-18 में 122 और वर्ष 2017-18 में 103 पर देखी गई।
- भारत 2020 तक 100/मिलियन जीवित जन्मों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब था और निश्चित रूप से 2030 तक 70/मिलियन जीवित जन्मों के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर था।

Yojna IAS

- कई विकसित देशों ने सफलतापूर्वक एमएमआर को एकल अंकों में ला दिया है। इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस में न्यूनतम एमएमआर दो है, जबकि जर्मनी और यूके दोनों में सात, कनाडा में 10 और अमेरिका में 19 हैं।
- भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों-नेपाल (186), बांग्लादेश (173) और पाकिस्तान (140) का एमएमआर अधिक है। हालांकि, चीन और श्रीलंका क्रमश: 3 और 36 एमएमआर के साथ काफी बेहतर स्थिति में हैं।

राज्य-विशिष्ट सांख्यिकी:

- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या अब पांच से बढ़कर सात हो गई है, ये हैं- केरल (30), महाराष्ट्र (38), तेलंगाना (56), तमिलनाडु (58), आंध्र प्रदेश (58), झारखंड (61) और गुजरात (70) ।
- केरल ने सबसे कम एमएमआर दर्ज किया है जो केरल को राष्ट्रीय एमएमआर 103 से आगे रखता है।
- केरल की मातृ मृत्यु दर में 12 अंकों की गिरावट आई है। पिछले एसआरएस बुलेटिन (2015-17) ने राज्य के एमएमआर को 42 पर रखा था, जिसे बाद में 43 कर दिया गया था।
- अब नौ राज्य हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित एमएमआर लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसमें उपरोक्त सात और कर्नाटक (83) और हरियाणा (96) शामिल हैं।
- उत्तराखंड (101), पश्चिम बंगाल (109), पंजाब (114), बिहार (130), ओडिशा (136) और राजस्थान (141) में एमएमआर 100-150 के बीच है, जबकि छत्तीसगढ़ (160), मध्य प्रदेश (163), उत्तर प्रदेश (167) और असम (205) में एमएमआर 150 से ऊपर है।

कुछ संबंधित सरकारी पहल:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता प्रदान करने के लिए जननी सुरक्षा योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) प्रत्येक माह की 9 तारीख गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल के लिए एक निश्चित तिथि के रूप में निर्धारित की गई है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान और लक्ष्य दिशा-निर्देश।

Yojna IAS

एक राष्ट्र, एक चुनाव

- मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में कहा है कि 'चुनाव आयोग' एक साथ या 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' कराने के लिए तैयार है।
- इस वर्ष की शुरुआत में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन 'एक राष्ट्र, एक मतदाता'/'आम मतदाता सूची' और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', एक चुनाव) के दौरान, और कहा कि निरंतर चक्र चुनाव परिणाम विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के बारे में:

- एक राष्ट्र-एक चुनाव/'एक राष्ट्र एक चुनाव' का अर्थ है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए हर पांच साल में एक बार और एक साथ चुनाव कराना।

बार-बार चुनाव होने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ:

- भारी खर्च।
- चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता के परिणामस्वरूप नीतियों में व्यवधान।
- आवश्यक सेवाओं के वितरण पर प्रभाव।
- चुनाव के दौरान तैनात किए जाने वाले मानव बल पर अतिरिक्त भार।
- राजनीतिक दलों, खासकर छोटे दलों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि वे दिन-ब-दिन महंगे होते जा रहे हैं।

एक साथ चुनाव कराने के फायदे:

- शासन और अनुरूपता: सत्तारूढ़ दल हमेशा चुनाव प्रचार मोड में रहने के बजाय कानून और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा।
- व्यय और निधियों के प्रशासन में दक्षता।
- नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता।
- शासन क्षमता: सरकारों द्वारा लोकलुभावन उपायों में कमी।
- सभी चुनाव एक बार में कराकर मतदाताओं पर काले धन के प्रभाव में कमी।

क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव:

- जब लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो मतदाताओं में हमेशा एक ही पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में लाने के लिए मतदान करने की प्रवृत्ति होती है।

एक साथ चुनाव कराने के प्रावधान को लागू करने के लिए संविधान और कानूनों में किए जाने वाले बदलाव:

- अनुच्छेद **83,** जो संसद के सदनों के कार्यकाल से संबंधित है, को संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

Yojna IAS

- अनुच्छेद **85** (राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन के संबंध में अनुच्छेद)
- अनुच्छेद **172** (राज्य विधानमंडलों के कार्यकाल से संबंधित लेख)
- अनुच्छेद **174** (राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित लेख)
- अनुच्छेद **356** (राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद)

संसद और विधान सभाओं दोनों की शर्तों की स्थिरता के लिए 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व शामिल होने चाहिए:

- एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की शक्तियों और कार्यों का पुनर्गठन।
- 'एक साथ चुनाव' की परिभाषा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 में जोड़ा जा सकता है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS